FIRST INFORMATION REPORT

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(Under Section 154 Cr.P.C.)
(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1.District(जिला)..चूरू.P.S(थाना)..**सीपीएसजयपुर**Year(वर्ष).**2022**..FIRNo.(प्रसूरिस)113/22........Dateदिनांक)..4/4/22

2. (i) Act (अधिनियम)..भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन2018)अधिनियम Sections(धाराऐं). .... 7,7A..............

(ii) Act (अधिनियम)............IPC .... Sections (धाराऐं)...............120B. ....

(iii) Act (अधिनियम)...........................Sections (धाराऐं)..

(iv) Other Acts & Sections (अन्य अधिनियम एवं धाराऐं) ....

3.(a)(क) Occurrence of offence(घटना का)Day(दिन)..Date from(दिनांक से) Yr 2022 Date 2212.2021 to (दिनांक तक) Time Period (पहर) ....Time From(बजे से) .....Time to(बजे तक (b)(ख)Information received at P.S.(थाने पर प्राप्त सूचना) .....Date (दिनांक) .... Time(समय). (c)(ग)General Diary Reference (रोजनामचासन्दर्भ)..Entry No(प्रविष्टि संख्या).61.. Time(समय).. 11:55 Am

4. Type of Information (सूचना कैसे प्राप्त हुयी) . Written/Oral (लिखित/मौखिक) .....लिखित......

5. Place of Occurrence(घटना स्थल का ब्योरा)

(a)(क) Direction and distance from PS(थाने से दिशा एवं दूरी) 110 KM उत्तर .Beat No (बीट संख्या)

(b)(ख) Address (पता) .. पुलिस थाना भादरा जिला हनुमनगढ।

(c)(x) In case outside the limit of this Police Station then (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तक उस)

Name of PS (थाने का नाम) .... District (जिला) ....

6. Complainant/Informant (शिकायतकर्ता/इत्तला देने वाला)

(a)(क) Name (नाम) .....श्री महेन्द्र सिंह...

(b)(ख) Father`s/Husband`s Name (पिता/पति का नाम) ... श्री भूराराम कुम्हार.......

(c)(ग) Day/Year of Birth (जन्म तिथि/वर्ष)...48 YR...(d)(घ) Nationality(राष्ट्रीयता) ..भारतीय..

(e)(ड़) Passport No (पासपोर्ट संख्या) ....

date of Issue (जारी करने की तिथि) .... Place of Issue (जारी करने का स्थान) ....

(f)(च) Occupation (व्यवसाय).. ....

(g)(छ) Address (पता) निवासी खोखरा की ढाणी तह0 भादरा जिला हनुमानगढ।

7. Details of know/Suspected/Unknown Accused with full particulars(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण) Attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नथी करें)

1. श्री विजेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना भादरा जिला हनुमानगढ।
2. श्री विनोद सिंगाठिया पुत्र श्री कुम्भाराम कुम्हार निवासी रामगढ तह0 भादरा हाल अधिवक्ता, न्यायालय भादरा जिला हनुमानगढ।

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण).....शून्य.....

9. Particulars of properties stolen (चोरी हुई सम्पति का विवरण) attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नत्थी करें) ....

10. Total value of property stolen (चोरी हुई सम्पति का कुल मुल्य) .....

11. Inquest Report (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) U.D case No.(अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) if any (यदि कोई हो तो) ....

12. F.I.R. Contents (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु) attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नत्थी करें)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो
चूरू

विषयः– रंगे हाथो पकडवाने बाबत।

मान्यवर,

नम्र निवेदन है कि मै श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री भूराराम जाति कुम्हार निवासी खोखरा की ढाणी तह0 भादरा जिला हनुमानगढ का रहने वाला हुॅ। मेरे भाई मोहनलाल के द्वारा एक मुकदमा मेरे भतीजो के खिलाफ पुलिस थाना भादरा में दर्ज करवा रखा है। उक्त मुकदमें में श्री विजेन्द्र कुमार एएसआई तफ्तीश कर रहे है। मेरे पास वकील जी विनोद सिंगाठिया आये व मेरे को कहा कि उस मुकदमें में आपका भी अन्य में नाम है। जिस पर मै वकील जी को साथ लेकर विजेन्द्र कुमार एएसआई से मिला तो विजेन्द्र कुमार व वकील साहब ने कहा कि इस मुकदमें में एफआर लगा देगें लेकिन आपको एक लाख रूपये खर्चे के देने होगे। मैने उक्त बात मेरे भतीजो को बताई तो उन्होने कहा कि अपने खिलाफ झुठा मुकदमा दर्ज करवाकर रखा है इसमें अपने को किसी को रिश्वत नही देनी है। अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो उसके खिलाफ एसीबी में कार्यवाही करवा दो। श्रीमान जी मै हमारे जायज काम के पेटे एएसआई विजेन्द्र कुमार वकील विनोद सिंगाठिया को रिश्वत नही देना चाहता मेरी एएसआई विजेन्द्र कुमार वकील विनोद सिंगाठिया से कोई रजीश नही है व न ही कोई उधारी का लेन–देन है। श्रीमान जी कार्यवाही करे।

दिनांक 22.12.2021

प्रार्थी
एसडी महेन्द्र सिंह
श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री भूराराम
जाति कुम्हार निवासी खोखरा की ढाणी
तह0 भादरा जिला हनुमानगढ

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 22.12.2021 को वक्त 07.00 एएम पर परिवादी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री भूराराम जाति कुम्हार निवासी खोखरा की ढाणी तह0 भादरा जिला हनुमानगढ ने हाजिर कार्यालय एसीबी चूरू होकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की। परिवादी की रिपार्ट का अवलोकन किया गया। मजीद पुछताछ पर परिवादी ने बताया कि मेरे भाई मोहनलाल के द्वारा एक मुकदमा मेरे भतीजो के खिलाफ पुलिस थाना भादरा में दर्ज करवा रखा है। उक्त मुकदमें में श्री विजेन्द्र सिंह एएसआई तफ्तीश कर रहे है। मेरे पास वकील जी विनोद सिंगाठिया आये व मेरे को कहा कि उस मुकदमें में आपका भी अन्य में नाम है। जिस पर मै वकील जी को साथ लेकर विजेन्द्र सिंह एएसआई से मिला तो विजेन्द्र सिंह व वकील साहब ने कहा कि इस मुकदमें में एफआर लगा देगें लेकिन आपको एक लाख रूपये खर्चे के देने होगे। मैने उक्त बात मेरे भतीजो को बताई तो उन्होने कहा कि अपने खिलाफ झुठा मुकदमा दर्ज करवाकर रखा है इसमें अपने को किसी को रिश्वत नही देनी है। अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो उसके खिलाफ एसीबी में कार्यवाही करवा दो। मै विजेन्द्र सिंह एएसआई व वकील विनोद सिंगाठिया को रिश्वत नही देना चाहता हूॅ। उन्हे रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडाना चाहता हूॅ। मेरी विजेन्द्र सिंह एएसआई व वकील विनोद सिंगाठिया से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी या रंजीश नही है तथा ना ही हमारा कोई आपस का उधार लेन–देन बकाया है। मै मेरे किसी जानकार से उक्त रिपोर्ट लिखवाकर लाया हूॅ, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। परिवादी की रिपोर्ट एवं

मजीद दरयाफ्त से मामला रिश्वत मांगने का पाया जाने पर परिवादी महेन्द्र सिंह को रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के सम्बधं में पुछा तो बताया कि विजेन्द्र सिंह एएसआई व वकील विनोद सिंगाठिया आज भादरा में ही है या नही इसके बारे में मै जाकर के पता करके बता दुंगा। इस पर श्री ओम प्रकाश कानि को कार्यालय के सरकारी डिजिटल टेप रिकॉर्डर लेकर तलब करने करने पर कानि डिजिटल टेप रिकॉर्डर लेकर उपस्थित आया। कानि ओम प्रकाश का परिवादी महेन्द्र सिंह से आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर ऑपरेट करने की विधि समझा कर एक दुसरे के मोबाईल से अवगत करवाया जाकर बाद हिदायत मुनासिफ परिवादी को रूखस्त किया गया।

वक्त 10.00 एएम पर कानि श्री ओम प्रकाश के पास परिवादी महेन्द्र सिंह का फोन आया कि वकील साहब व एएसआई आज भादरा ही है आप टेप रिकॉर्डर आ जाओ मै उनसे मिलकर मांग सत्यापन वार्ता कर सकता हूँ। इस पर कानि ओम प्रकाश को सरकारी डिजिटल टेप रिकॉर्डर लेकर परिवादी के पास रवाना भादरा किया गया।

वक्त 10.00 पीएम पर कानि ओम प्रकाश हाजिर आया तथा वार्ता का टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मै रवाना होकर भादरा पहुंचा जंहा पर परिवादी श्री महेन्द्र सिंह मेरे को अपने प्राईवेट वाहन के साथ उपस्थित मिला। जिस पर मै व परिवादी महेन्द्र सिंह दोनो रवाना होकर पुलिस थाना भादरा के पास पंहुचे। मैने टेप रिकॉर्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर पुलिस थाना की तरफ रवाना किया गया तथा मै वहीं आस–पास गोपनीय रूप से मुकीम हो गया। करीब आधा घण्टे बाद परिवादी महेन्द्र सिंह मेरे पास उपस्थित आया जिससे मैने टेप रिकार्डर प्राप्त कर बंद किया। परिवादी ने बताया कि मै रवाना होकर थाने के आगे पंहुचा जहां पर वकील विनोद सिंगाठिया को फोन कर बुलाया और उसको साथ लेकर थाने में विजेन्द्र सिंह एसएसआई से मिला तो उन्होने मेरे कार्य के बारे में वार्ता कर कहा कि आपके मुकदमें में एफआर लगा देगे तब मैने कहा कि कितने रूपये खर्चे के लगेगे तब विजेन्द्र सिंह ने कहा कि एक लाख तब मैने कहा कि मै आपको 40 हजार रूपये दे दुगा तथा वकील साहब को 15 हजार रूपये दे दुंगा तो विजेन्द्र सिंह एएसआई व वकील साहब ने कहा कि ठीक है कब आ रहे हो तो मैने कहा कि इसमें मेरा नाम नही है रूपये मेरे को मेरे भतीजो से लेकर आने है इसलिए दो दिन में आता हूँ। मै मेरे भतीजो से रूपये की व्यवस्था करके दो दिन में आ जाउंगा, परिवादी को निर्देशानुसार भादरा में छोडकर हाजिर आया हूँ। टेप रिकॉर्डर को सुरक्षत रखा, आईन्दा परिवादी के उपस्थित आने पर वार्ता को सुनकर ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जावेगी।

दिनांक 27.12.2021 को वक्त 9.30 एएम पर परिवादी महेन्द्र सिंह हाजिर चोकी आया व कानि ओम प्रकाश के द्वारा दिनांक 22.12.2021 को बताये गये तथ्यों की ताईद की। कानि ओम प्रकाश के द्वारा प्रस्तुत टेप रिकॉर्डर को चालु कर सुना गया तो परिवादी महेन्द्र सिंह व कानि ओम प्रकाश के द्वारा बताई हुई बातो की पुष्टि हुई। जिसमें परिवादी महेन्द्र सिंह बोलता है कि "आ नै कितना करके देस्यों, बै कीता मांगै है" जिस पर आरोपी वकील विनोद कहता कि "अ तो सत्तर की कहवै है" तब परिवादी कहता है कि "मेरै कनै तो है कोनी, बै आपणै सटीस्फाईड काम हो ज्या" जिस पर आरोपी वकील कहता है कि "बा चीज तो हो ज्यागी, बा मै बात करूंगा जद होवैगी" उसके बाद परिवादी व आरोपी वकील रवाना होकर थाने में आरोपी विजेन्द्र सिंह एएसआई के पास जाते है तथा मुकदमें के सम्बधं में वार्ता करते है तथा किस–किस के खिलाफ मुकदमा दर्ज है के बारे में परिवादी पुछता है तथा आरोपी एएसआई विजेन्द्र सिंह पुलिस थाने में दर्ज मुकदमें के आरोपीगण के नाम व मुदकमें की धाराओं के बारे में बताता है। आरोपी एसएसआई कहता है कि "लेकिन बां मै थानै फाईनल बता राखी है मेरी फाईनल तो बदलै कोनी" जिस पर परिवादी कहता है कि "सत्तर हजार बहोत है साब, जस्टीफाईड थारै मुहू बोल द्यो, थारै मुहु बोल द्यो" आरोपी एसएसआई कहता है कि "पुरा एक, तीस–सत्तर (परिवादी ने बताया कि वकील की तरफ ईशारा कर बताया कि तीस व अपने स्वयं की तरफ ईशारा कर बताया कि सत्तर)" जिस पर आरोपी वकील विनोद कहता कि "थामी अः मै एफआरडी दे द्यो थानै कोई टैंशन कोनी, दो दिनां मै थारै कनै पेमेंट आ ज्यागो... आपणै तै थानेदार बात ही कोनी करता, मै थानै बताउ बीस मनै दे दियो, चालीस आ नै दे दियो" जिस पर परिवादी कहता है कि "मै थानै पन्द्रहा द्यूंगा ठीक है, थानेदार जी म्हारै अः" परिवादी महेन्द्र सिंह व आरोपीगण के मध्य हुई मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 22.12.2021 के टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओ को परिवादी व कानि ओम प्रकाश के समक्ष जरिये कम्प्यूटर सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा वार्ता की तीन सीडी जरिये कम्प्यूटर

तैयार कर दो सीडी को खुला रखा गया तथा वार्ता की एक सीडी को कपडे की थैली में डालकर सील्ड कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर जमा मालखाना करवाई गई।

परिवादी महेन्द्र सिंह ने बताया कि मै दिनांक 22.12.2021 को वकील साहब व थानेदार जी विजेन्द्र कुमार से बात करने के लिए गया तो मुझे पता चला है कि उक्त मुकदमें में मेरा नाम नही है तथा मेरे भाई हरदत्त व भतीजों का नाम है तथा रिश्वती राशि भी उनसे ही लेकर आना था लेकिन मेरा भतीजा श्रीगंगानगर में नोकरी करता है। मैने उससे बात की थी तो उसने कहा कि मै पांच–सात दिन में गांव आता हूँ फिर बात करते है। इसलिए मै रिश्वत राशि लेकर नही आया हूँ। पांच–सात दिन में जब मेरा भतीजा गांव आयेगा तब उससे रिश्वती राशि लेकर आपसे सम्पर्क करता हूँ। इस पर परिवादी महेन्द्र सिंह को हिदायत की गई कि रिश्वती राशि की व्यवस्था कर शीघ्र कार्यालय में उपस्थित आवे, बाद हिदायत इजाजत दी गई।

परिवादी श्री महेन्द्र सिंह से विभिन्न दिनांको को 4–5 बार जरिये मोबाईल सम्पर्क किया गया तो बताया कि मेरा भतीजा गांव आया था जिससे मैने बात कर रिश्वती राशि लेनी चाही तो मेरे भतीजे ने कहा कि अभी मेरे से पूरे रूपयों की व्यवस्था नही हो पाई है किसी से उधार लेकर व्यवस्था करता हूँ और वह वापिस श्रीगंगानगर चला गया है उससे रिश्वती राशि लेकर आपसे सम्पर्क करता हूँ। इस पर परिवादी महेन्द्र सिंह को हिदायत की गई कि रिश्वती राशि की व्यवस्था कर शीघ्र कार्यालय में उपस्थित आवे।

दिनांक 24.02.2022 को परिवादी श्री महेन्द्र सिंह उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि मुकदमें मे मेरा नाम नही होने के कारण मैने मेरे भतीजा जो मास्टर है तथा श्रीगंगानगर में नोकरी करता हैं जिससे व मेरे भाई हरदत्त से मैने 55 हजार रूपये थानेदार जी व वकील साहब विनोद सिगाठिया निवासी रामगढ जो न्यायालय भादरा में पैरवी करता है को रिश्वत के रूप में देने के लिए मांगे तो पहले तो वे आजकल–आजकल करते रहे परन्तु अब कह रहें हैं कि हम किसी सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही नही करवायंगें। अब तक मै उसको कार्यवाही के लिए मनाता रहा परन्तु मेरे भतीजे वगैरा ने अब कार्यवाही करने व रिश्वती राशि मेरे को देने से इन्कार कर दिया है। इस पर परिवादी महेन्द्र सिंह को बाद हिदायत इजाजत दी गई। समय–समय पर की गई कार्यवाही का रनिंग नोट तैयार किया गया।

उपरोक्त कार्यवाही के समस्त तथ्यों से पाया गया कि परिवादी श्री महेन्द्र सिंह के भाई मोहनलाल के द्वारा एक मुकदमा परिवादी के भतीजो के खिलाफ पुलिस थाना भादरा में दर्ज करवाया जिसमें श्री विजेन्द्र सिंह एएसआई पुलिस थाना भादरा अनुसंधान कर रहे थे। परिवादी महेन्द सिंह के पास पूर्व से परिचित वकील विनोद सिंगाठिया आया और परिवादी को कहा कि इस मुकदमें में आपका भी अन्य में नाम है। जिस पर परिवादी महेन्द्र सिंह को दिनांक 22.12.2021 को आरोपीगण से वार्ता करने के लिए पुलिस थाना भादरा भेजा गया तो आरोपीगण विजेन्द्र सिंह एएसआई ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुऐ श्री विनोद सिंगाठिया वकील से आपस में मिलीभगत कर परिवादी से उसके कार्य के सम्बधं में वार्ता करते हुऐ प्रकरण में एफआर लगाने के नाम पर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न 55 हजार रूपये की रिश्वत की मांग करने का कृत्य धारा 7,7ए भ्र0नि0 (संशोधन 2018) अधिनियम व 120बी भादस में प्रथम दृष्ट्या अपराध घटित होना पाया जाता है।

अतः श्री विजेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना भादरा जिला हनुमानगढ एवं श्री विनोद सिंगाठिया पुत्र श्री कुम्भाराम कुम्हार निवासी रामगढ तह0 भादरा हाल अधिवक्ता, न्यायालय भादरा जिला हनुमानगढ के विरूद्ध धारा 7,7ए भ्र0नि0 (संशोधन 2018) अधिनियम व 120बी भादस में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(आनन्द प्रकाश स्वामी)
अति0 पुलिस अधीक्षक,
भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आनन्द प्रकाश स्वामी, अतिक्ति पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरा, चूरू ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1.श्री विजेन्द्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना भादरा जिला हनुमानगढ़ एवं 2.श्री विनोद सिंगाठिया पुत्र श्री कम्भाराम कुम्हार निवासी रामगढ तहसील भादरा हाल अधिवक्ता, न्यायालय भादरा जिला हनुमानगढ़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 113/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 1003-07 दिनांक 4.4.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला हनुमानगढ़।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।